विविध निगरानी प्रकरण क्रमांक.....
प्रस्तुती दिनांक 19.8.14

माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. खण्डपीठ इन्दौर

R-2820-PBR/14

मोहनलाल पिता रामचन्द्र पाठक
आयु 45 वर्ष, धंधा खेती,
निवासी ग्राम आशाखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) **पार्वतीबाई पति लक्ष्मीनारायण**
उम्र नामालूम, व्यवसाय खेती,
निवासी बावल्याखुर्द तहसील व जिला इन्दौर

(2) **मांगूबाई पति तेजराम,**
उम्र नामालूम, व्यवसाय खेती,
निवासी मूसाखेड़ी तहसील व जिला इन्दौर ——— प्रत्यर्थीगण

आवेदन निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

अपीलार्थी तर्फे नम्र निवेदन है कि –

माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2अ–13/13–14 में अंतरिम आवेदन पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय, अपर तहसीलदार महोदय श्री विनोद राठौर द्वारा दिनांक 9–6–2014 को पारित अंतरिम आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा सदर निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

मो0 इरफान / पार्वतीबाई आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी -2820 –पीबीआर / 14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 9–6–14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–5–14 को स्थल निरीक्षण किया गया है, और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर होना एवं उसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने का आदेश देने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं होना एवं अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सिद्ध कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	